समक्ष माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक 2794/2005

याचिकाकर्ता : डॉ. एल. पटनाइक, पिता– श्री सचिदाननंद पटनाइक, उम्र– 47 वर्ष सहायक प्रबंधक, निवासी ए–69, सूर्या अपार्टमेंट्स, कटोरा तालाब, जिला– रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रतिवादिगण : 1. यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यालय, 24, व्हाइट्स रोड, चेन्नई– 600014

2. महाप्रबंधक (कार्मिक), यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, 24, व्हाइट्स रोड, चेन्नई– 600014

3. सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक), यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, मुख्य कार्यालय, 24, व्हाइट्स रोड, चेन्नई– 600014

4. क्षेत्रीय प्रबंधकर्ता, यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, परियावास भवन ब्लॉक नं 2, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल– 462011 (एम.पी.)

5. डिविजनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, डिविजनल कार्यालय, कृष्णा काम्प्लेक्स, पहला तल, कचहरी रायपुर, जिला: रायपुर– 492001(छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

समक्ष माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक 2794/2005

डॉ. एल. पटनाइक

विरुद्ध

यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा अध्यक्ष–सह

प्रबंध निदेशक एवं अन्य

आदेश

दिनांक 24.08.2005 के लिए सूचिबद्ध करें

एस डी/–

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ती

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समक्ष माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

रिट याचिका क्रमांक 2794/2005

डॉ. एल. पटनाइक

विरुद्ध

यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा अध्यक्ष–सह

प्रबंध निदेशक एवं अन्य

श्री पी.एस. कोशी, अधिवक्ता वास्ते याचिककर्ता

श्री कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री आनंद कुमार तिवारी, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादीगण

आदेश

(24.08.2005)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश,

1) याचिकाकर्ता, जो 26.12.2003 से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायपुर में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ है, ने दिनांक 16.06.2005 के स्थानांतरण आदेश की वैधता को चुनौती दी है, जिसके माध्यम से उन्हें प्रादेशिक कार्यालय, लखनऊ में स्थानांतरित किया गया है, जबकि वे पूर्व में संभागीय कार्यालय, रायपुर में पदस्थ थे।

2) तथ्यों के अनुसार, दिनांक 06.04.2005 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा मण्डल कार्यालय, रायपुर तथा शाखा कार्यालय, बिलासपुर, के अतिरिक्त डॉ. बी.आर. सिंह, संभागीय प्रबंधक, रायपुर एवं श्री सी.जे. अरोड़ा, शाखा प्रबंधक, बिलासपुर के आवासीय परिसरों पर छापा मारा गया। छापे के दिन श्री बी.आर. सिंह अवकाश पर थे तथा याचिकाकर्ता कार्यालय में वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में उपस्थित थे। याचिकाकर्ता ने सी.बी.आई. टीम को उनकी आवश्यकता अनुसार समस्त जानकारी एवं दस्तावेज/फाइलें उपलब्ध कराईं, जिसके कारण याचिकाकर्ता, सी.बी.आई. के प्रकरण क्रमांक आरसी 2(ऐ)/2005/सीबीआई/जेबीपी (धारा 120-बी एवं 420 भारतीय दण्ड संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(d)) के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था जिसकी तलाशी प्रक्रिया में एक साक्षी बन गए। उक्त प्रकरण में श्री बी.आर. सिंह आरोपी क्रमांक 2 तथा श्री सी.जे. अरोड़ा, शाखा प्रबंधक, बिलासपुर आरोपी क्रमांक 1 के रूप में संस्थित हैं। तलाशी के दौरान प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि भी सी.बी.आई. टीम के साथ उपस्थित थे और उनके द्वारा की गयी कार्यवाही का प्रसारण किया गया। मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा याचिकाकर्ता का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें उन्होंने विभागीय प्रबंधक, रायपुर एवं शाखा प्रबंधक, बिलासपुर के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण

पंजीबद्ध होने की जानकारी दी। इन सब के बाद दिनांक 08.04.2005 को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस (अनुलरणक P-6) जारी किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनके कथनों के कारण कंपनी की बाज़ार में छवि धूमिल हुई। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 11.04.2005 को अपना उत्तर (अनुलरणक P-7) प्रस्तुत किया गया, परन्तु इसके बाद भी उन्हें दिनांक 21.04.2005 को एक आरोप-पत्र (अनुलरणक P-8) जारी किया गया, जिसके द्वारा उनके विरुद्ध विभागीय जांच आरंभ की गई, जो कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 19.05.2005 को उत्तर दिए जाने के उपरांत अभी भी लंबित है। उपर्युक्त घटनाक्रम के उपरांत याचिकाकर्ता सहित रायपुर विभागीय कार्यालय एवं बिलासपुर शाखा कार्यालय के दोनों अधिकारियों का स्थानांतरण एक ही आदेश दिनांक 16.06.2005 द्वारा कर दिया गया याचिकाकर्ता का कथन है कि उपर्युक्त घटनाक्रम स्पष्ट रूप से यह प्रकट करता है कि उत्तरवादीगण क्रमांक 2 से 5 की दुर्भावनापूर्ण एवं प्रतिशोधात्मक मानसिकता के चलते एक साजिश के अंतर्गत याचिकाकर्ता को प्रताड़ित करने हेतु स्थानांतरण आदेश पारित किया गया, जिससे कि उत्तरवादी क्रमांक 5 के विरुद्ध भ्रष्टाचार के तथ्य उजागर न हो सकें तथा सी.बी.आई. जांच को प्रभावित किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) इसके जवाब में, प्रतिवादियों ने यह तर्क दिया है कि स्थानांतरण कोई दंड नहीं है। यह नियोक्ता के प्रशासनिक विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। जब तक याचिका में दुर्भावना को ठोस रूप से सिद्ध न किया जाए अथवा किसी वैधानिक नियम का उल्लंघन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित न किया जाए, तब तक आक्षेपित स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने हेतु कोई दावा या कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की जा सकती। चूँकि ऐसा नहीं किया गया है, अतः यह याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे यह भी तर्क किया है कि कारण बताओ सूचना/आरोप पत्र जारी करना एवं उसके परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करना मात्र दुर्भावना की श्रेणी में नहीं आता, और इस आधार पर भी याचिकाकर्ता अपने स्थानांतरण आदेश को रद्द किए जाने का दावा नहीं कर सकता।

4) एक प्रत्युत्तर भी दायर किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने यह अभिवचन किया है कि रायपुर में कार्यरत रहते हुए उसने कई गंभीर अनियमितताएँ तथा स्पष्ट कदाचार देखे, जो विभिन्न संचालनात्मक एवं प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन थे। नियमों एवं प्रक्रियाओं को तोड़-मरोड़ कर कंपनी को गलत तरीके से हानि पहुँचाई गई और अन्य लोगों को अनुचित लाभ दिया गया। अनेक उदाहरणों को उजागर करते हुए याचिकाकर्ता ने यह तर्क किया है कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दुर्भावनापूर्ण आशय से उसे परेशान करने एवं उस पर अनुचित दबाव डालने के उद्देश्य से जारी किया गया है, ताकि याचिकाकर्ता, जो कि सी.बी.आई. के एक मामले में एक गवाह भी है, अभियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध बयान न दे, अन्यथा वे उपर्युक्त सी.बी.आई. मामले में फँस सकते हैं।

5) मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की विस्तृत रूप से बहस सुनी तथा रिट याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया ।

6) सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दो महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। सर्वप्रथम, उन्होंने स्थानांतरण आदेश को दुर्भावनापूर्ण करार दिया तथा द्वितीय रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह आदेश दिनांक 1 जून 2002 से प्रभावी स्थानांतरण एवं गतिशीलता नीति/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है। सर्वप्रथम, **पंजाब राज्य बनाम गुरदियाल सिंह व अन्य ऐआईआर 1980 एससी 319** के निर्णय का हवाला देते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि प्रतिवादियों की कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि स्थानांतरण आदेश सदभावना से पेश नहीं किया गया था। यह आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शक्ति का कपटपूर्ण प्रयोग (colorable exercise of power) है, जो दुर्भावना का परिणाम है।दुर्भावना क्या होती है, यह स्पष्ट करते हुए उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान उक्त निर्णय के कंडिका 9 की ओर आकर्षित किया, जो इस प्रकार है:

> "दुर्भावना, जो शक्ति के प्रयोग को अमान्य करती है – जिसे कभी-कभी शक्ति का कपटपूर्ण प्रयोग या छल भी कहा जाता है – उस स्थिति को कहा जाता है जब शक्ति का प्रयोग उस वैध उद्देश्य की आड़ में किया जाता है, जिसे वह पूरा करने का दावा करता है, जबकि वास्तविक उद्देश्य कोई और होता है। यदि शक्ति का प्रयोग किसी वैध उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है, तो उसमें द्वेष की उपस्थिति उसे अवैध नहीं बनाती। परंतु जब वास्तविक उद्देश्य वह नहीं होता, जिसके लिए शक्ति प्रदान की गई है, बल्कि शक्ति का प्रयोग बाह्य और अप्रासंगिक विचारों से प्रेरित होकर किया जाता है, तो न्यायालय उसे कपटपूर्ण प्रयोग कहता है और उस भ्रांति को अस्वीकार करता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके अतिरिक्त, विद्वान अधिवक्ता ने **राजेंद्र रॉय बनाम भारत संघ व अन्य, (1993) 1 एससीसी 148** के निर्णय का भी उल्लेख किया, और यह तर्क दिया कि हर स्थिति में दुर्भावना को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर पाना संभव नहीं होता, लेकिन उचित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर दुर्भावना का युक्तिसंगत अनुमान लगाया जा सकता है। अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध सी.बी.आई. छापे की पूर्ववृत्त घटनाएं, याचिकाकर्ता का उस छापे में गवाह होना, तत्पश्चात् उसका प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को साक्षात्कार देना तथा उसके उपरांत आरोप-पत्र की जारीगी – ये सभी तथ्यों की श्रृंखला इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त है कि स्थानांतरण आदेश दुर्भावनापूर्ण था, और यह याचिकाकर्ता के नियोक्ता द्वारा दुर्भावनावश किया गया है।

7) अब विचारणीय विषय यह है कि क्या उक्त सी.बी.आई. द्वारा दिनांक 06.04.2005 को छापे की उक्त घटना के बाद पारित यह स्थानांतरणआदेश शक्ति का कपटपूर्ण उपयोग है या यह दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही का परिणाम है? याचिकाकर्ता का स्वयं का कथन है कि जिस दिन सी.बी.आई. का छापा पड़ा, उस दिन याचिकाकर्ता रायपुर स्थित अपनी शाखा में वरिष्ठतम अधिकारी था। याचिकाकर्ता के कथनानुसार, सी.बी.आई. द्वारा छापेमारी के दौरान याचिकाकर्ता ने उन्हें समुचित सहायता प्रदान की थी और तत्पश्चात् उक्त कंपनी के मण्डल प्रभंदक एवं शाखा प्रभंदक के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया। चूंकि छापे के समय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उपस्थित थी, इसलिए याचिकाकर्ता को उनके समक्ष सत्य प्रस्तुत करना पड़ा, जो समाचार में प्रकाशित भी हुआ। याचिकाकर्ता के इस कार्य से मण्डल प्रभंदक के हितों को हानि हो सकती है, किंतु यह प्रदर्शित नहीं किया गया कि इससे नियोक्ता के हितों को किस प्रकार हानि हुई। यदि किसी शाखा में कोई गलत कार्य हो रहा हो और विभागाध्यक्ष कहीं दूर (जैसे वर्तमान मामले में चेन्नई) स्थित हो तथा शाखा के एक अधिकारी द्वारा उस गलत कार्य का पता चले, तो नियोक्ता निश्चित रूप से उस कर्मचारी का आभारी होगा जिसने उस गलत कार्य को उजागर कर नियोक्ता को सूचित किया। मुझे यह महसूस नहीं होता कि ऐसे ईमानदार कर्मचारी की सहायता से नियोक्ता के मन में उस कर्मचारी के विरुद्ध कोई दुर्व्यवहार की भावना उत्पन्न होगी या शक्ति के कपटपूर्ण उपयोग के माध्यम से अनैतिकता का व्यवहार होगा जो दुर्भावना के रूप में माना जाए। यदि हम इस स्थानांतरणआदेश को उक्त घटनाओं के संदर्भ में देखें, तो यह प्रतीत होता है कि यह तीनों कर्मचारियों - याचिकाकर्ता, डॉ. बी.आर. सिंह (मण्डल प्रभंदक) एवं श्री सी.जे. अरोड़ा (शाखा प्रभंदक, बिलासपुर) के एक ही स्थानांतरण आदेश है। यदि नियोक्ता ने बाहरी या अप्रासंगिक कारणों के आधार पर शक्ति का दुरुपयोग किया होता, तो यह आदेश केवल याचिकाकर्ता का स्थानांतरणकर उसे हटाने का होता, न कि उन सभी का जिनका सी.बी.आई. छापे में संबंध था। दूसरे शब्दों में, यदि डॉ. बी.आर. सिंह या श्री सी.जे. अरोड़ा को कोई विशेष लाभ दिया जाना था, तो वे अपने-अपने पदों पर बने रहते और केवल याचिकाकर्ता का स्थानांतरणकिया जाता। परंतु इस मामले में, तीनों अधिकारियों को दिनांक 16.06.2005 के एक ही आदेश द्वारा स्थानांतरित किया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता स्वयं को गवाह मानता है, जबकि याचिकाकर्ता के अनुसार उक्त दो व्यक्ति आरोपी हैं। मामला उस विशिष्ट संभागीय कार्यालय से संबंधित है जिसमें याचिकाकर्ता और डॉ. बी.आर. सिंह कार्यरत थे और भ्रष्टाचार, आपराधिक षड़यंत्र आदि के विभिन्न आरोप मण्डल प्रभारी डॉ. सिंह के विरुद्ध जांच हेतु हैं। यदि दोनों व्यक्तियों को घटना स्थल से अलग-अलग स्थानों पर रखा गया है, ताकि अभियुक्तों के विरुद्ध अन्वेषण विधि के अनुसार किया जा सकें तो ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि नियोक्ता ने याचिकाकर्ता या मण्डल प्रभंदक के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8) राजेन्द्र रॉय के मामले में पारित निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की युक्तियुक्त निष्कर्ष निकालने के लिए तथ्यों का एक ठोस आधार याचिका में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, और केवल अप्रत्यक्ष या अस्पष्ट आरोपों के आधार पर ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। वर्तमान मामले में, यदि हम याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत घटनाक्रम के क्रमबद्ध विवरण को ध्यान में रखते हुए उनके समस्त मामले की जांच करें, तो दुर्भावना का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। कार्यालय में कार्य करने के संबंध में याचिकाकर्ता की कार्रवाई, तथा संभागीय प्रबंधक के विरुद्ध लगाए गए आरोप, तत्पश्चात सी.बी.आई. की छापेमारी, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साक्षात्कार, तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ आरोपों के संबंध में आरोप पत्र का जारी किया जाना —इन तथ्यों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि नियोक्ता के विरुद्ध दुर्भावना का कोई ठोस आधार मौजूद है।

9) यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी शासकीय सेवक या सार्वजनिक उपक्रम का कर्मचारी यह विधिक अधिकार नहीं रखता कि उसे हमेशा किसी एक विशेष स्थान पर या अपनी पसंद के स्थान पर पदस्थ रखा जाए, क्योंकि स्थानांतरण उन कर्मचारियों के लिए, जो स्थानांतरणीय पदों की श्रेणी में नियुक्त किए गए हैं, न केवल एक सामान्य घटना है, बल्कि सेवा की एक शर्त भी है, जो सार्वजनिक हित तथा प्रशासनिक कार्यक्षमता के लिए आवश्यक है। जब तक यह प्रदर्शित न किया जाए कि स्थानांतरण का आदेश दुर्भावनापूर्ण रूप से पारित किया गया है या यह किसी विधिसम्मत प्रावधान का उल्लंघन करता है जो ऐसे स्थानांतरण पर निषेध लगाता है, तब तक न्यायालय या अधिकरण सामान्य रूप से ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मानो वे अपीलीय प्राधिकारी हों और अपने निर्णय को नियोक्ता/प्रबंधन के स्थान पर प्रतिस्थापित कर रहे हों, विशेषतः जब ऐसे आदेश सेवा से संबंधित प्रशासनिक आवश्यकता की दृष्टि से पारित किए गए हों। यह विधिक स्थिति हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सियाराम, ऐआईआर 2004 एससी 4121** के प्रकरण में, तथा **नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड बनाम श्री भगवान एवं अन्य (2001) 8 एससीसी 574** के निर्णय का उल्लेख करते हुए प्रतिपादित की गई है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों में कोई बल नहीं है, अतः उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

10) अब विद्वान अधिवक्ता द्वारा याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया दूसरा बिंदु स्थानांतरण एवं मोबिलिटी नीति दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से संबंधित है। विद्वान अधिवक्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा **सेशराओ नागराव उमाप बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (1985 (II) एलएलजे 73)**में दिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार किसी भी कार्यपालिका/प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग सद्भावना में एवं निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाना आवश्यक है, उसी प्रकार स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग भी सद्भावना में एवं नीति-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।उनका आगे यह भी कहना है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रबंधन अपनी स्वीकृत नीति से बाध्य होता है और उसे निष्ठापूर्वक लागू करना अनिवार्य है; नीति को लागू करते समय चयनात्मक रवैया नहीं अपनाया जा सकता।हालांकि, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे कार्यपालिका निर्देश या नीति निर्णय कोई प्रवर्तनीय विधिक अधिकार प्रदान नहीं करते और यदि इनका उल्लंघन कर कोई आदेश पारित भी किया गया हो, तो वह स्वयं में अवैध नहीं ठहराया जा सकता।बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि ऐसे निर्देश केवल निर्देशात्मक प्रकृति के हो सकते हैं और सेवा की आवश्यकता अथवा प्रशासनिक कारणों के चलते सामान्य नियम से अपवाद हो सकता है। परंतु, ऐसा अपवाद सामान्य नियम नहीं बन सकता। यह भी सुस्थापित विधि है कि न्यायालय को सेवा की आवश्यकता के कारण एवं प्रशासनिक/कार्यपालिका शक्ति के निर्वहन में पारित किए गए स्थानांतरण आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए (कृपया उपर्युक्त निर्णय के पैरा 5 को देखें)। इसके अतिरिक्त, **भारत संघ बनाम एस.एल. अब्बास ऐआईआर 1993 एससी 2444** के निर्णय में भी यह सुस्थापित किया गया है कि किस कर्मचारी का स्थानांतरण कहाँ किया जाए, यह निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है। जब तक स्थानांतरण आदेश दुर्भावनापूर्ण नहीं हो अथवा किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन कर पारित न किया गया हो, न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्थानांतरण आदेश पारित करते समय, यह आवश्यक है कि प्राधिकारी की सरकार द्वारा उस विषय पर जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, परंतु यह दिशा-निर्देश किसी कर्मचारी को कोई प्रवर्तनीय विधिक अधिकार प्रदान नहीं करते।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11) उपरोक्त के अतिरिक्त, यदि हम अनुलरणक P-3 के रूप में संलग्न दिशा-निर्देशों की सामग्री का परीक्षण करें, तो कॉलम 'सी' के अंतर्गत कंडिका 4 में यह उल्लेखित है कि सामान्य पदस्थापना अवधि का अभिप्राय, सभी केंद्रों के संबंध में, वर्ग-I के सभी संवर्गों में लगातार पाँच वर्षों की अवधि तक की पदस्थापना से है। उक्त दिशा-निर्देशों के कॉलम 'डी9' का संबंध सामान्य विनियमों) से है। विनियमों के अनुच्छेद (II) में यह प्रावधान है कि सामान्य पदस्थापन अवधि पूर्ण हो जाने पर किसी अधिकारी का स्थानांतरण किया जाना अपेक्षित होगा, परंतु उक्त सामान्य विनियमों के कंडिका (iii) में आगे यह भी प्रावधान है कि—"यहाँ वर्णित किसी भी बात की ऐसी व्याख्या नहीं की जाएगी जिससे प्रबंधन के उस अधिकार पर कोई प्रतिबंध लगे, जिसके अंतर्गत वह किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण सामान्य पदस्थापन अवधि पूर्ण होने से पूर्व कर सकता है।"यहाँ तक कि यदि स्थानांतरण नीति को उसके कठोर रूप में भी लागू किया जाए, तो भी यह याचिकाकर्ता को लाभ नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि याचिकाकर्ता ने रायपुर में पाँच वर्षों की सामान्य पदस्थापन अवधि (NPP) पूर्ण नहीं की है और यदि उसने उक्त अवधि पूर्ण नहीं की होती, तो उसका स्थानांतरण उस अवधि की समाप्ति से पूर्व नहीं किया जाता।

12) इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, मैं याचिकाकर्ता को दिनांक 16.06.2005 को जारी स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं रखता। याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। तथापि, मैं पक्षकारों को निर्देश देता हूँ कि वे अपने-अपने व्यय स्वयं वहन करें ।

सही/–

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by: Adv. Navdeep Agrawal

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur